जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/..... दिनांक ...../12/2017

आदेश

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./पी.ई.बी./5–प–1/4288/2017, दिनांक 03/06/2017 से प्राप्त समूह–2 उप समूह–3 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के पद हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा–2017 में **अनारक्षित (महिला)** श्रेणी की चयन सूची के सरल क्रमांक 01 पर उल्लेखित/दर्शित **सोनम तिवारी D/O श्री दिनेश तिवारी** को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर, वेतनमान रू. 5200–20200 + ग्रेड पे रू. 2400/– में अस्थायी रूप से, संलग्न शर्तों के अधीन, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर **कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा (होशंगाबाद)** में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

संलग्न – शर्तें।

कुलपति जी के आदेशानुसार,

सही

कुलसचिव

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/...1635 दिनांक ...06/12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा (होशंगाबाद)। कृपया सोनम तिवारी का वेतन, बजट शीर्ष **B(b) 15 College of Agriculture, Powarkheda** के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करें एवं संलग्न शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जॉच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/वेतन निर्धारण/पेंशन, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. सोनम तिवारी D/O श्री दिनेश तिवारी, बी.डी.ओ. वाली गली, गोपालपुरा, मुरैना (म.प्र.) 476001.
7. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

6/12/17

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/1535 दिनांक 06/12/2017

नियुक्ति की शर्तें

1. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र जॉचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. यह नियुक्ति, उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा म.प्र. मूलभूत नियमों के अध्याधीन होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा/भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती हैं। यह शर्त दोनों पक्षों को लागू होंगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय निम्नानुसार दस्तावेजों की मूल एवं छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा –
   1. शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र।
   2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रगाण पत्र।
   3. म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
   4. जन्मतिथि सत्यापन हेतु संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र।
   5. विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र।
6. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
7. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। (शपथ पत्र प्रारूप संलग्न)
8. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
9. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
10. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम एवं सेवा शर्तों तथा समय–समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
11. उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी इकाई में स्थानांतरित की जा सकेंगी।
12. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना–2005 के अधीन होगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

6/12/17

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/..... दिनांक ...../12/2017

आदेश

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./पी.ई.बी./5–प–1/4288/2017, दिनांक 03/06/2017 से प्राप्त समूह–2 उप समूह–3 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के पद हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा–2017 में **अनुसूचित जनजाति** श्रेणी की चयन सूची के सरल क्रमांक 01 पर उल्लेखित/दर्शित **श्री चेतन सिंह कनेश** S/O **श्री शंकर सिंह कनेश** को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर, वेतनमान रू. 5200–20200 + ग्रेड पे रू. 2400/– में अस्थायी रूप से, संलग्न शर्तों के अधीन, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर **मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर** में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

संलग्न शर्तें।

कुलपति जी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/...1527 दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
3. विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर। कृपया श्री चेतन सिंह कनेश का वेतन, बजट शीर्ष **C-2(5) Now (2)P- 5 AICRP on Micronutrient Soil at Jabalpur** के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करें एवं संलग्न शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जॉच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
4. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
5. कार्यपालन यंत्री, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/वेतन निर्धारण/पेंशन, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
7. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
8. श्री चेतन सिंह कनेश S/O श्री शंकर सिंह कनेश, ग.नं. एल.एरा. 2 के 21, देजला देवड़ा फारेस्ट कालोनी, खरगोन (म.प्र.) 451001.
9. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/1537 दिनांक 06/12/2017

नियुक्ति की शर्तें

1. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र जॉचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. यह नियुक्ति, उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा म.प्र. मूलभूत नियमों के अध्याधीन होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा/भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती हैं। यह शर्त दोनों पक्षों को लागू होंगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय निम्नानुसार दस्तावेजों की मूल एवं छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा –
   1. शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र।
   2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण पत्र।
   3. म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
   4. जन्मतिथि सत्यापन हेतु संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र।
   5. विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र।
6. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
7. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। (शपथ पत्र प्रारूप संलग्न)
8. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
9. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
10. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम एवं सेवा शर्तों तथा समय–समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
11. उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी इकाई में स्थानांतरित की जा सकेंगी।
12. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना–2005 के अधीन होगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

6/12/17

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/..... दिनांक ...../12/2017

आदेश

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./पी.ई.बी./5–प–1/4288/2017, दिनांक 03/06/2017 से प्राप्त समूह–2 उप समूह–3 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के पद हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा–2017 में **अनुसूचित जनजाति (महिला)** श्रेणी की चयन सूची के सरल क्रमांक 01 पर उल्लेखित/दर्शित **कु. मनीषा उइके** D/O **श्री राजाराम उइके** को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर, वेतनमान रू. 5200–20200 + ग्रेड पे रू. 2400/– में अस्थायी रूप से, संलग्न शर्तों के अधीन, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर **क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, वारासिवनी (बालाघाट)** में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

संलग्न – शर्तें।

कुलपति जी के आदेशानुसार,

सही

कुलसचिव

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/..1539 दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. प्रमुख वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, वारासिवनी (बालाघाट)। कृपया कु. मनीषा उइके का वेतन, बजट शीर्ष **C-1(3) Estt. of Regional Res. Station (2) Waraseoni (Rice)** के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करें एवं संलग्न शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जॉच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/वेतन निर्धारण/पेंशन, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. कु. मनीषा उइके D/O श्री राजाराम उइके, प्रतापपुर रोड कालोनी, महाराजबाग, भैरोंगंज, सिवनी (म.प्र.) 480661.
7. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

6/12/17

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/15391 दिनांक 06/12/2017

नियुक्ति की शर्तें

1. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र जॉचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. यह नियुक्ति, उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा म.प्र. मूलभूत नियमों के अध्याधीन होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा/भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती हैं। यह शर्त दोनों पक्षों को लागू होंगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय निम्नानुसार दस्तावेजों की मूल एवं छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा –
   1. शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र।
   2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण पत्र।
   3. म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
   4. जन्मतिथि सत्यापन हेतु संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र।
   5. विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र।
6. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
7. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। (शपथ पत्र प्रारूप संलग्न)
8. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
9. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
10. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम एवं सेवा शर्तों तथा समय समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
11. उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी इकाई में स्थानांतरित की जा सकेंगी।
12. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना–2005 के अधीन होगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

6/12/17

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/..... दिनांक ...../12/2017

आदेश

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./पी.ई.बी./5–प–1/4288/2017, दिनांक 03/06/2017 से प्राप्त समूह–2 उप समूह -3 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के पद हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा–2017 में **अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)** श्रेणी की चयन सूची के सरल क्रमांक 01 पर उल्लेखित/दर्शित **कु. प्रियंका नामदेव D/O श्री मोहन लाल नामदेव** को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर, वेतनमान रू. 5200–20200 + ग्रेड पे रू. 2400/– में अस्थायी रूप से, संलग्न शर्तों के अधीन, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर **कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा (होशंगाबाद)** में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

संलग्न – शर्तें।

कुलपति जी के आदेशानुसार,

सही

कुलसचिव

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/..1541 दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा (होशंगाबाद)। कृपया कु. प्रियंका नामदेव का वेतन, बजट शीर्ष **B(b) 15 College of Agriculture, Powarkheda** के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करें एवं संलग्न शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जॉच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/वेतन निर्धारण/पेंशन, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. कु. प्रियंका नामदेव D/O श्री मोहन लाल नामदेव, नामदेव जनरल्स स्टोर, मैन मार्केट, हिन्दोरिया, दमोह (म.प्र.) 470771.
7. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

6/12/17

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/1541 दिनांक 06/12/2017

नियुक्ति की शर्तें

1. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र जॉचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. यह नियुक्ति, उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा म.प्र. मूलभूत नियमों के अध्याधीन होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा/भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती हैं। यह शर्त दोनों पक्षों को लागू होंगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय निम्नानुसार दस्तावेजों की मूल एवं छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा –
   1. शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र।
   2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण पत्र।
   3. म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
   4. जन्मतिथि सत्यापन हेतु संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र।
   5. विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र।
6. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
7. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। (शपथ पत्र प्रारूप संलग्न)
8. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
9. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
10. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम एवं सेवा शर्तों तथा समय–समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
11. उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी इकाई में स्थानांतरित की जा सकेंगी।
12. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना–2005 के अधीन होगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

6/12/17

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/..... दिनांक ...../12/2017

आदेश

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./पी.ई.बी./5–प–1/4288/2017, दिनांक 03/06/2017 से प्राप्त समूह–2 उप समूह–3 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के पद हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा–2017 में **अनारक्षित (विकलांग)** श्रेणी की चयन सूची के सरल क्रमांक 01 पर उल्लेखित/दर्शित **श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी** S/O **श्री शीतला प्रसाद** को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर, वेतनमान रू. 5200–20200 + ग्रेड पे रू. 2400/– में अस्थायी रूप से, संलग्न शर्तों के अधीन, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर **कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा (होशंगाबाद)** में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

संलग्न – शर्तें।

कुलपति जी के आदेशानुसार,

सही

कुलसचिव

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/..1643 दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा (होशंगाबाद)। कृपया श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी का वेतन, बजट शीर्ष **B(b) 15 College of Agriculture, Powarkheda** के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करें एवं संलग्न शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जॉच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/वेतन निर्धारण/पेंशन, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी S/O श्री शीतला प्रसाद, म.नं. 245, गुड़ारी, पलेरा, टीकमगढ़ (म.प्र.) 472221.
7. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

6/12/17

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2016/144/1543 दिनांक 06/12/2017

नियुक्ति की शर्तें

1. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र जॉचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. यह नियुक्ति, उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा म.प्र. मूलभूत नियमों के अध्याधीन होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा/भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती हैं। यह शर्त दोनों पक्षों को लागू होंगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय निम्नानुसार दस्तावेजों की मूल एवं छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा –
   1. शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र।
   2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण पत्र।
   3. म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
   4. जन्मतिथि सत्यापन हेतु संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र।
   5. विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र।
6. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
7. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। (शपथ पत्र प्रारूप संलग्न)
8. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
9. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
10. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम एवं सेवा शर्तों तथा समय–समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
11. उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी इकाई में स्थानांतरित की जा सकेंगी।
12. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना–2005 के अधीन होगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

6/12/17

कुलसचिव

प्रारूप

फोटो

: : शपथ पत्र : :

मैं ..... आयु .....पुत्र/पुत्री/पत्नि .....
निवासी ..... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं–

1. यह मेरा चयन ..... पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नही हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।

8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।

9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता ..... सत्यापित करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 9 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक ..... को ..... में किया गया है।

शपथग्रहिता